

उत्तर रेलवे

सूचना

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब सेक्टर, 37-ए, दक्षिण मार्ग, चंडीगढ़

प्रथम अपील सं. 391/2024

निर्धारित तिथि - 25-08-2025

उत्तर रेलवे

अपीलकर्ता

हरभजन सिंह संधू

बनाम

प्रतिवादी

हरभजन सिंह संधू पुत्र श्री एस. वरियाम सिंह, संधू निवास, तरण तारन रोड, चाटीविंड मोड़, गाँव गुरुवाली, अमृतसर (पंजाब)

उपरोक्त मामला राज्य आयोग पंजाब के समक्ष दायर, किया गया है और आयोग इस बात से असंतुष्ट है कि प्रतिवादी को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त प्रतिवादी के विरुद्ध यह उद्धोपणा जारी की जाती है। जिसमें उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि/वकील के माध्यम से दिनांक 25.08.2025 को प्रातः 10:30 बजे उत्तर देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और उनके उपस्थित न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

2412/25

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ